



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-06.09.2022

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफ़र वांछित अभियुक्त भरत यादव गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01-मु0अ0सं0-0070/2022 धारा 147,148,149,341,504,427,353,332,333,337,307,308,392 भा0द0वि0 व ¾ सा0 सं0 नु0 नि0 अधि0 व 7 सीएलए एक्ट 02-मु0अ0सं0-0069/2022 धारा 147,336,427 भा.द.वि. एवं 03-मु0अ0सं0-072/22 धारा 147/323/504/392 भा.द.वि. से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त भरत यादव पुत्र नंदू सरदार निवासी ग्राम मड़ौली थाना मंडुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी को चौकाघाट मछली सट्टी के पास से आज दिनांक-06.09.2022 को समय 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

1-दिनांक 08.03.2022 को पहड़िया मंडी में EVM बदलने की अफवाह पर समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्वों द्वारा लाठी डंडा व लोहे की रॉड लेकर प्रदर्शन व हंगामा करने, श्रीमान् ADG जोन वाराणसी के वाहन सं0 UP 70 AG 3788 इनोवा गाड़ी को गेट नं0 2 के सामने रोक कर ईट-पत्थर फेककर गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करने, लोक शांति भंग करने, रास्ते से आने जाने वाली गाड़ियों एवं सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करने एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा नारेबाजी व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की नियत से पत्थर फेककर मारने जिससे पुलिस कर्मियों को चोटें आईं तथा शांति व्यवस्था ड्यूटी में लगे पुलिस बल की ड्यूटी में अवरोध उत्पन्न कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में थाना लालपुर/पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0070/2022 धारा 147,148,149,341,504,427,353,332,333,337,307,308,392 भा0द0वि0 व ¾ सा0 सं0 नु0 नि0 अधि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक-09.03.2022 को वादी मुकदमा श्री अभिजीत सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी खजूरी पाण्डेयपुर ने दिनांक-08.03.2022 को पहड़िया मंडी पर भीड़ द्वारा उनकी गाड़ी पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया गया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0-0069/2022 धारा 147,336,427 भा.द.वि पंजीकृत किया गया।

3-दिनांक-10.03.2022 को वादी मुकदमा श्री राम सुन्दर मिश्र संवाददाता आर भआरत ने 15-20 सपा कार्यकर्ताओं द्वारा वादी के साथ गाली गलौज करने, मारने-पीटने व मोबाईल छीन लेने के संबंध में लिखित तहरीर दिया जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर मे मु0अ0सं0-0072/2022 धारा 147,303,504/392 भा.द.वि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 सतीश कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भरत यादव पुत्र नंदू सरदार निवासी ग्राम मड़ौली थाना मंडुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र करीब 46 वर्ष।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त भरत यादव ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। दिनांक-8.3.22 को ईवीएम बदले जाने की सूचना प्राप्त हुई जिसके बाद मैं भी अपने पार्टी के कार्यकर्ता गणों के साथ पहड़िया मंडी स्ट्रांग रूम आया। जहां एक पिकअप में कुछ ईवीएम मशीन कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया था। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्तेजित थे। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व मेरे द्वारा ही किया जा रहा था, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं कार्यकर्ताओं को लेकर आशापुर पाण्डेयपुर मेन रोड पर नारेबाजी करने लगा। उस दौरान कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए और उनके द्वारा आने-जाने वाले वाहनों पर पथराव भी किया गया। उसी समय पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां भी पहाड़िया मंडी आने लगी जिस पर भीड़ जो पहले से ही अनियंत्रित थी, उसके द्वारा भी पथराव किया गया। ईवीएम बदले जाने की सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग भावनाओं में आ गए थे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 सतीश कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 मनीष पाल थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 सुरेन्द्र मौर्या थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 वीरेन्द्र कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 सत्यम श्रीवास्तव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 रविन्द्र कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 चन्द्रेश कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 उपेन्द्र बहादुर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

